प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

20 नवंबर 2026

रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2026 जारी किए

विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात) विनियमन, 2015 को विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात) विनियमन, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो 13 जनवरी 2026 को जारी किया गया था और 01 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हुए। नए विनियमन सिद्धांत-आधारित हैं; विशेष रूप से छोटे निर्यातकों और आयातकों के लिए कारोबार करने में आसानी बढ़ाने के उद्देश्य से हैं; और प्राधिकृत व्यापारियों को अपने ग्राहकों को तेज और अधिक कुशल सेवा प्रदान करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

हितधारकों से प्राप्त बाद की प्रतिक्रिया के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात) विनियमन, 2026 के संशोधन विनियम जारी किए, जो 02 नवंबर 2026 को अधिसूचित किए गए थे और पूर्वव्यापी रूप से 01 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी हुए।

इस संबंध में, नए व्यापार विनियमों को निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितधारकों द्वारा बेहतर ढंग से समझने में सुविधा प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात) विनियमन, 2026 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) रखे हैं।

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/1531